64

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
आई०ए०एस०,
निदेशक,
नगरीय परिवहन निदेशालय,
7वाँ तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक(नाम से),
सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड,
लखनऊ/कानपुर/इलाहाबाद/
वाराणसी/मेरठ/आगरा–मथुरा।

पत्रांकः 172-यूटीडी/16–55यू0टी0डी0/16 दिनांक 19.05.2016

विषयः डिपो/बस स्टेशन हेतु नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में कृपया नगर विकास विभाग, अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 1886(1)/नौ–5–2011–83 सा/09 दिनांक 28 अप्रैल 2011, शासनादेश 1886/नौ–5–2011–83 सा/09 दिनांक 30 मई 2011 एवं शासनादेश 2776/नौ–5–2011–71सा/2011 दिनांक 17 जून 2011 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से एस0पी0वी0 के बस स्टेशन एवं डिपो हेतु नगर निगम, विकास प्राधिकरण एवं उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद से निःशुल्क भूमि प्राप्त करने हेतु निर्देश दिये गये थे।

उक्त के कम में एस0पी0वी0 द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नही की गई है एवं वर्तमान में उ0प्र0 परिवहन निगम की ही अवस्थापनाओं का. उपयोग किया जा रहा है।

अस्तु निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर स्थानीय प्रशासन/नगर निगम/विकास प्राधिकरण तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर भूमि चिन्हित कराकर आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
17/5/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

कमशः.........02

55UTD/16

<u>प्रतिलिपिःसमसंख्यक / समदिनांकित।</u>

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मण्डलायुक्त / अध्यक्ष, सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ एवं आगरा।
2. जिलाधिकारी, जनपद लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं मथुरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, आगरा एवं मथुरा।

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक